न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 54/2025/दावा/बउनवान/मेघराज बनाम जगदीश

जीसीएमएस संख्या :– 2025/36

01. मेघराज पुत्र विजयशंकर जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

.......वादी

बनाम

01. जगदीश पुत्र पन्ना जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
02. बाबूलाल पुत्र पन्ना जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
03. बद्रीलाल पुत्र रूपनारायण उर्फ नारायण जाति धाकड निवारी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मांगरोल जिला बारां

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

दायरा दिनांकः 25.02.2025 **निर्णय दिनांक : 20.05.2025**

<u>निर्णय</u>

<u>कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा</u>

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

01. यह की वाके माल ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता सं० 143 की खसरा नम्बर 142 रकबा 1.45 हेक्टयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.31, खसरा नम्बर 324 रकबा 0.08 हेक्टयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.20 हेक्टयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.18 हेक्टयर, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.06 हेक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.28 हेक्टयर आराजी अवस्थित है जो आगे विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित है।
02. यह कि वादी का विवादित आराजी मे हिस्सा 31/228 वां दर्ज है एवं शेष आराजी प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 के शामलाती दर्ज है। वादी अपने हिस्सानुसार आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 0.31 हेक्टयर पर काबिज काश्त है और लगातार काश्त करता चला आ रहा है।
03. यह कि विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सानुसार आराजी पर काश्त कर रहे हैं लेकिन शामलाती खाता होने से वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया कि विभाजन करा ले लेकिन प्रतिवादीगण आश्वासन देकर टालते रहते हैं।
04. यह कि शामलाती खाता होने से वादी को कई आवश्यक कार्यों हेतु जिनमें सीमाज्ञान, केसीसी आदि मे प्रतिवादीगण की आवश्यकता होती है तथा राज्य सरकार के कई योजनाओं के लाभों से वंचित होना पडता है जिससे वादी को आवश्यक हो गया कि वह श्रीमान से खाता विभाजन की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

05. यह कि वादकारण प्रतिवादीगण वार–वार वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल देने से उत्पन्न हुआ ।

06. यह कि वाद पत्र का श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

07. यह कि वाद पत्र लगान के 100 गुना पर कायम कर उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी प्रसारित की जावे कि वाके माल ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता सं० 143 की खसरा नम्बर 142 रकबा 1.45 हेक्टयर, खसरा नम्बर 151 रकवा 0.31 हे0, खसरा नम्बर 324 रकवा 0.08 हेक्टयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.20 हेक्टयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.18 हेक्टयर, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.06 हेक्टयर, कुल किता 6 कुल रकवा 2.28 हेक्टयर में वादी का हिस्सा 31/228 प्रतिवादीगण से पृथक किया जाकर वादी के अलग खाते दर्ज किया जावे व अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वादी को दिलवाई जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण शामलाती खाते में सह–खातेदार है। सह–खातेदार होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आये दिन समस्या का सामना करना पडता है। वादी एवं प्रतिवादीगण सह–खातेदार होने से शामलाती खाते का बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवाने के अधिकारी है।

पक्षकारान स्वयं कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में उपस्थित आए। वादी एवं प्रतिवादीगण ने कोर्ट कैम्प में आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमति जाहिर की। चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमत है। अतः वाके माल ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता सं० 143 की खसरा नम्बर 142 रकबा 1.45 हेक्टयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.31 हे0, खसरा नम्बर 324 रकबा 0.08 हेक्टयर, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.20 हेक्टयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.18 हेक्टयर, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.06 हेक्टयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.28 हेक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार पृथक से दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तद्नुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करें।

तहसीलदार मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार **ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल** की आराजी का बंटवारा निम्नानुसार वादीगण के मध्य किया जाता है:–

वादी

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	दिशा/हिस्सा
1	मेघराज पुत्र विजयशंकर जाति धाकड सा देह रहन बैंक ऑफ बदौडा शाखा मांगरोल	151	0.31	सम्पूर्ण
		किता 1	रकबा 0.31 हे0	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

...ना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रतिवादीगण

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	दिशा / हिस्सा
1	बद्रीलाल पुत्र रूपनारायण उर्फ नारायण हि0 12/197	142	1.45	सम्पूर्ण
2	जगदीश पुत्र पन्ना हि0 114/197 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मांगरोल	324	0.08	सम्पूर्ण
		334	0.20	सम्पूर्ण
3	बाबूलाल पुत्र पन्ना हि0 71/197 जाति धाकड सा. देह खातेदार	344	0.18	सम्पूर्ण
		468	0.06	सम्पूर्ण
		किता 5	रकबा 1.97 हे0	

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में मजमेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 54 / 2025 / दावा / बउनवान / मेघराज बनाम जगदीश

जीसीएमएस संख्या :– 2025 / 36

निर्णय दिनांक :– **20.05.2025**

बउनवानः–

01. मेघराज पुत्र विजयशंकर जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

.......वादी

बनाम

01. जगदीश पुत्र पन्ना जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
02. बाबूलाल पुत्र पन्ना जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
03. बद्रीलाल पुत्र रूपनारायण उर्फ नारायण जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय मांगरोल जिला बारां

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा

कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प ईश्वरपुरा में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम **ईश्वरपुरा** तहसील मांगरोल का पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

वादी

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	दिशा / हिस्सा
1	मेघराज पुत्र विजयशंकर जाति धाकड सा देह रहन बैंक ऑफ बदौडा शाखा मांगरोल	151	0.31	सम्पूर्ण
		किता 1	रकबा 0.31 हे0	

प्रतिवादीगण

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा(हे0)	दिशा / हिस्सा
1	बद्रीलाल पुत्र रूपनारायण उर्फ नारायण हि0 12 / 197	142	1.45	सम्पूर्ण
		324	0.08	सम्पूर्ण
2	जगदीश पुत्र पन्ना हि0 114 / 197 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मांगरोल	334	0.20	सम्पूर्ण
		344	0.18	सम्पूर्ण
3	बाबूलाल पुत्र पन्ना हि0 71 / 197 जाति धाकड सा. देह खातेदार	468	0.06	सम्पूर्ण
		किता 5	रकबा 1.97 हे0	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै
ाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
ाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
ाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
्नताना वकील			महनताना वकील		
र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
स कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
त इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
फर्रिक			मुतफर्रिक		
जान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल